संख्या–877/26–ब0प्र0–2011–25/2011

प्रेषक,

बी0बी0सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ लखनऊ:: दिनांक:: 16 दिसम्बर, 2011

विषय :– डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 के लिये सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्रांक 5/211/467/11–5/33/2011 दिनांक 19.10.2011 व वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2010– 231/2011, दिनांक 21–3–2011 एवं डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग के शासनादेश संख्या–451/66–11–1/11, दिनांक 16.03.2011 तथा शासनादेश संख्या–345/26–ब0प्र0–2011–25/2011, दिनांक 15.04.2011,शासनादेश संख्या–688/26–ब0प0–2011–25/2011, दिनांक 12.09.2011 एवं के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में संलग्न प्रपत्र–'बी0एम0–9 के स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखा शीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग के माध्यम से रू0 511.81 लाख (रू0 पॉच करोड़ ग्यारह लाख इक्यासी हजार मात्र), स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2010–231/11, दिनांक 21–3–2011 तथा डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग के शासनादेश संख्या–451/66–11–1/11, दिनांक 16.03.2011 एवं शासनादेश संख्या–224/43/डा0अ0ग्रा0स0वि0वि0/10–11, दिनांक 01.08.2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–05–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियॉ " एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियॉ–04–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियॉ " के अर्न्तगत राजकोष में चालान से जमा किया जाय।

(3) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलो में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलो में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–83 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक "4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय –आयोजनागत –789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–98–अम्बेडकर ग्राम विकास योजना –9801–सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0–9 (पार्ट–I) के स्तम्भ–1 में अंकित लेखा शीर्षक में उपलब्ध बचतों से वहन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिये निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशो के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली का निर्माण के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007, दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(8) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में दिया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत् व्यय होने के पश्चात दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–ई–3–2282/दस–11,दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा,/डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त मुख्य अधिकारी जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2
7– वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1/2
8– पंचायती राज अनुभाग–2
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव।

प्रपत्र-बी0एम0-9 (पार्ट-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम :- 83 व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष.2011-2012 (धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा- आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-अम्बेडकर ग्रामों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों का सुदृढीकरण-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान-	578800	51181	51181	51181	527619
योग	578800	51181	51181	51181	527619

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-98-अम्बेडकर ग्राम विकास योजना-9801-सी.सी. रोड़ तथा पक्की नाली/के.सी. ड्रेन का निर्माण-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान-	14880000	14931181	51181	51181	14931181
योग	14880000	14931181	51181	51181	14931181

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- अवशेष कार्यो को समय से पूर्ण किये जाने के कारण ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या-आर0ई0-215/दस-2011, दि0 05.12.11

संख्या-92 पु0/26-ब0प्र0-11, दि0 16.12.11

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

संख्या-877 (1)/26-ब0प्र0-2011-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- निदेशक, पंचायतीराज,उ0प्र0 लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(दो प्रतियों में)
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
7- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।